दर और खाने के लिये दैनिक प्रभार विवरण "क" में दिये गये हैं, जो सभा-पटल पर रख दिये गये हैं। **[ग्रन्थालय में रख दिये गये । देखिये संख्या** LT. 340/71 **]**

(ग) जी, नहीं ।

(घ) ऊपर 'ग' को देखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता ।

होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के कालेजों और अस्पतालों पर विश्वविद्यालयों का नियंत्रण

1432. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों तथा केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों में होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के कालेज तथा अस्पताल मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालयों के नियंत्रणाधीन नहीं है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) भारत के 47 होम्योपैथिक कालेजों में से 44 कालेजों का प्रबन्ध प्राइवेट संस्थाएं कर रही हैं और केवल तीन कालेजों का प्रबन्ध सम्बन्धित राज्य सरकारें कर रही हैं। विश्वविद्यालय के नियंत्रण में कोई होम्योपैथिक कालेज नहीं है ।

(ख) होम्योपैथी नियंत्रण परिषद् की स्थापना के लिये कानून बनाने का विचार है। यह परिषद् होम्योपैथिक शिक्षा के स्तर के साथ-साथ इस व्यवसाय के विनियमन की भी जांच करेगा ।

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का विकास एवं प्रसार

1433. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का विकास एवं प्रसार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य विषय है और यह मुख्यतः राज्य सरकारों का काम है कि वे होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के प्रचार के लिये समुचित कार्यवाही करें। चौथी योजना में होम्योपैथी सहित देशी-चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिये केन्द्रीय क्षेत्रों में 7.33 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र में 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत दो होम्योपैथिक औषधालय खोले हैं।

सरकार ने एक चार वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी स्वीकार किया है और राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि वे उसे अपनायें । केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के गठन के बारे में भी समुचित कानून बनाने का विचार है। इस परिषद् के माध्यम से सभी राज्यों में होम्योपैथी प्रशिक्षण का स्तर एक समान करने तथा होम्योपैथी द्वारा चिकित्सा करने वालों का विनियमन करने का विचार है ।

भारत सरकार ने हाल में ही भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी में अनुसंधान करने के लिये एक केन्द्रीय परिषद् स्थापित की है। इस परिषद् के तत्वावधान में हावड़ा में होम्योपैथी का एक केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान तथा दिल्ली में एक होम्योपैथिक औषध मानकीकरण एकक स्थापित किये जा चुके हैं। 1971-72 में दो अनुसंधान केन्द्र तथा 1972-73 तथा 1973-74 में एक-एक केन्द्र स्थापित करने का विचार है ।

इसके अलावा, यह परिषद् देश के विभिन्न भागों में स्थित होम्योपैथी के 10 अनुसंधान केन्द्रों को वित्तीय सहायता दे रही है । चौथी योजना अवधि में होम्योपैथिक अनुसंधान योजनाओं के लिये 36.98 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

Medical Reimbursement to Civilian Employees of Ordnance Factories

1434. SHRI S. M. BANERJEE : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) Whether the civilian employees of the Ordnance Factories proceeding on leave to their permanent home towns or their family permanently residing in home towns/villages are not entitled to medical re-imbursement, whereas all the Central Government employees including Civilian Defence Employees other than those in Ordnance Factories are paid the same ; and

(b) if so, the reasons for this discrimination ?

THE MINISTER OF STATE DEFENCE PRODUCTION IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(b) Whereas the Ordnance Factories employees are governed by the Regulations for the Medical Services of the Armed Forces, 1962, other Central Government employees including civilian Defence employees receive medical facilities under either Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944, as amended or Central Government Health Scheme. While under the latter two sets of Rules, the facilities mentioned in part (a) of the question are available, such facilities are not admissible under the Regulations for the Medical Services of the Armed Forces, 1962, which govern the Ordnance Factories employees and the Service personnel.

Thefts in Maulana Azad Medical College Hostel, New Delhi

1435. SHRI SHASHI BHUSHAN : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been invited to the news item appearing in the 'Evening News' dated the 15th April, 1971 to the effect that girl students of Maulana Azad Medical College Hostel feel insecure due to increasing number of thefts ;

(b) whether a large number of lady doctors and girl students have complained that the college authorities were showing lack of concern at the menace which has been on the increase for the past 12 months ; and

(c) the action taken by the authorities and the police to recover the stolen articles and to take preventive measures ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTREY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI D. P. CHATTOPADHYAYA) : (a) Yes.

(b) No.

(c) Police was informed immediately in each case and they are seized of the matter. Essential security measures, including provision of one extra chowkidar and erection of protective walls, have been taken.

Lack of Facilities at T. B. Control Units

1436. SHRI SHASHI BHUSHAN :
SHRI K. M. MADHUKAR :

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been invited to the news appearing in the 'Hindustan Times' dated the 17th April, 1971 to the effect that TB control units lack films, drugs, staff and equipment ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) the steps taken by Government to make available all these facilities with a view to treat the patients properly and effectively ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI D. P CHATTOPADHYAYA) : (a) Yes.

(b) and (c) The District TB Control Units established and upgraded during the